

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1096 / 2023 दिनांक : 06.04.2023

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 930 / 2023 दिनांक 20.03.2023 को निरस्त करते हुए श्री शैलेश जड़िया (RJ0489 अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर को दिनांक 10.04.2023 से 15.04.2023 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 07.04.2023 से 09.04.2023 एवं 16.04.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री जड़िया की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम-03, भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर के पद पर ही होने की सम्भावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/41/2005/2439

दिनांक : 12.04.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 1754 दिनांक 01.04.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री शैलेश जड़िया (RJ0489), अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर।
4. अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम-03, भरतपुर।

सहायक रजिस्ट्रार